



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102025-266877
CG-DL-E-13102025-266877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 665]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 749(अ).— केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (i) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2025 है।
(ii) ये, 1 नवंबर, 2025 को प्रवृत्त होगा और 30 अप्रैल, 2026 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा।
- कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में, पैरा 82क के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“82ख. कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के संबंध में विशेष उपबंध- कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025, 1 नवंबर, 2025 को प्रवृत्त होगा और 30 अप्रैल, 2026 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा।”

2(ii) किसी भी नियोजक को, चाहे पूर्व में अधिनियम के अधीन समावेशित होता हो या नहीं, को निम्नलिखित की अनुमति होगी-

(क) समावेशन के लिए आवेदन, यदि समावेशित नहीं किया गया है ; और

(ख) ऐसे सभी कर्मचारियों को नामांकित करना जिन्होंने 1 जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच उक्त स्थापन में कार्यभार ग्रहण किया था, जो घोषणा की तारीख तक जीवित और कार्यरत हैं, किंतु जो किसी भी कारण से स्कीम के अधीन पहले नामांकित नहीं थे।

(ii) ऐसे घोषित कर्मचारियों के संबंध में अनुपालन, कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन नियोजक द्वारा ऐसी घोषणा के मास से शुरू होगा, परंतुकि अभिदाय से कर्मचारियों के हिस्से को पूर्व में कटौती कर नियोजक के पास न रखा गया हो:

परंतुकि, ऐसे मामलों में जहां अधिनियम की धारा 7क के अधीन या स्कीम के पैरा 26ख के अधीन या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 8 के अधीन जांच लंबित हैं और नियोजक, कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 का विकल्प चुनता है, तो कर्मचारी तथा नियोजक दोनों का अभिदाय, अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंधों के अनुसार संदेय होंगे।

3. जो नियोजक, कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 का फायदा उपभोग करना चाहता है, उन्हें सबसे पहले स्कीमों के अधीन घोषित किए जा रहे प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से मुख अधिप्रमाणन प्रौद्योगिकी-अधिप्रमाणित सार्वभौमिक खाता संख्या बनाना सुनिश्चित करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न के माध्यम से उनके अभिदाय का संदाय करना होगा।
4. तब नियोजक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपबंधित ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन घोषणा करनी होगी, जहां नियोजक नामांकित कर्मचारियों का ब्यौरा उपदर्शित करेगा तथा उसे इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (अस्थायी रिटर्न संदर्भ संख्या) से लिंक करेगा, जिसके माध्यम से अंशदान का संदाय किया गया है तथा एक सौ रुपए की क्षति का संदाय करेगा।
5. नियोजक उन सभी विद्यमान और पात्र कर्मचारियों की घोषणा करेगा, जो तारीख 1 जुलाई, 2017 और तारीख 31 अक्टूबर, 2025 के बीच उक्त स्थापन में शामिल हुए हैं तथा घोषणा की तारीख तक जीवित और कार्यरत हैं।
6. नियोजकों द्वारा घोषणा केवल कर्मचारी भविष्य निधि पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी।
7. एक से अधिक (बहु) वचनबंध या घोषणा प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं होगी।
8. इस स्कीम के अधीन घोषणा की तारीख से नियोजक को अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियमित अनुपालन करना होगा।
9. सभी स्थापन प्रस्तावित स्कीम में भाग लेने के लिए पात्र हैं, चाहे कोई स्थापन अधिनियम की धारा 7क के अधीन या स्कीम के पैरा 26ख के अधीन या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 8 के अधीन जांच का सामना कर रहा हो।
10. नियोजक द्वारा जांच की निर्धारित अवधि के संबंध में घोषणा की जाने की दशा में कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन फायदे, सभी विद्यमान और जीवित कर्मचारियों, उनकी मजदूरी या अभिदाय की रकम और उनके रोजगार की अवधि के संबंध में कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन यथा उपबंधित प्रतीकात्मक क्षति की सीमा तक क्षति को सीमित करने तक सीमित होंगे।
11. नियोजक घोषित कर्मचारियों के संबंध में उनकी नियुक्ति की क्रमशः तारीख से विगत अवधि के लिए अभिदाय जमा करेगा, जैसा नियोजक द्वारा घोषित किया गया है कि-

- (क) नियोजक को केवल नियोजक के हिस्से का संदाय करना अपेक्षित होगा, परंतु कि कर्मचारियों के हिस्से की कटौती नहीं की गई है तथा उसे नियोजक के पास नहीं रखा गया है;
- (ख) कर्मचारी का हिस्सा अधित्यजित कर दिया जाएगा यदि नियोजक द्वारा पहले कटौती नहीं की गई है।
- (ग) नियोजक अधिनियम की धारा 7थ के अधीन पिछली अवधि के लिए यथा लागू प्रशासनिक प्रभारों सहित ब्याज का संदाय करेगा।
12. जांच अधिकारी मामले का विनिश्चय करते समय कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन की गई घोषणा को ध्यान में रखेगा।
13. अधिनियम की धारा 7क या स्कीम के पैरा 26ख के अधीन या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 8 के अधीन पहले से समाप्त निर्धारण के मामलों पर कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।
14. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उन नियोजकों के विरुद्ध कोई स्वतः संज्ञान से अनुपालन कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी जो ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के फायदों का उपभोग कर रहे हैं घोषणा करने वाले स्थापन द्वारा वचनबंध के अधीन रहते हुए जो घोषणा की तारीख तक स्थापन पहले ही छोड़ चुके हैं, कि-
- (क) सभी विद्यमान और पात्र कर्मचारियों की घोषणा कर दी गई है; और
- (ख) विद्यमान या पहले के कर्मचारियों के अभिदाय से संबंधित कोई भी रकम, जो उसके संबंध में नियोजक के अभिदाय की लागू रकम के साथ, उसमें से काटी गई थी, सन्निधियों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा करने के लिए लंबित नहीं है।
15. 1 जुलाई, 2017 से पहले की अवधि से संबंधित कोई भी मामला, इस स्कीम के अधीन शामिल नहीं होगा।
16. जहां उप-पैरा (4) के अधीन कोई घोषणा पात्र कर्मचारियों की घोषणा, ऐसे घोषित कर्मचारी के नियोजन और नियोजन के निबंधनों से संबंधित तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण या उन्हें छिपाकर की गई है, वहां ऐसी घोषणा प्रारंभ से ही शून्य होगी और यह माना जाएगा कि इस स्कीम के अधीन नहीं की गई है और ऐसी घोषणा करने वाला नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंधों के अनुसार दांडिक कार्रवाई के लिए दायी होगा।
- (17) कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन शामिल स्थापनों द्वारा प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार स्कीम के फायदों का उपभोग करने के लिए पात्रता मानदंड: -**
- (क) सभी नियोजक जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होते हैं या कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन अतिरिक्त कर्मचारियों की घोषणा करते हैं, यहां नीचे दिए गए अनुसार इस स्कीम के निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना के फायदों का उपयोग करने के पात्र होंगे।

(ख) प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना उन सभी नियोजकों पर लागू होगी, जो कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के उपबंधों के निबंधन में, घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रजिस्टर करते हैं या अतिरिक्त कर्मचारियों की घोषणा करते हैं।

(I) **भाग क फायदा:** जिन लोगों ने यथास्थिति घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख या जांच के अंतिम समापन की तारीख के पश्चात ऐसे स्थापनों में पहली बार प्रवेश किया है वे प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना के भाग 'क' के स्कीम के निबंधनों और शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए फायदों का उपयोग करने के पात्र होंगे।

(II) **भाग ख फायदा:**

(i) कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के फायदों का उपभोग करने वाले नियोजकों के लिए प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना के भाग ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण अवधि कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन, यथास्थिति, घोषणा प्रस्तुतीकरण या जांच के अंतिम निष्कर्ष की तारीख से, उन छह पूर्ण मास के पश्चात अगले मास के पहले दिन से शुरू होगी, और यह अवधि तारीख 31 जुलाई, 2027 तक रहेगी। सभी पात्रता मानदंडों जैसे कि सीमाशुद्ध अतिरिक्तता, नए कर्मचारियों की सेवा अवधि आदि की गणना उक्त तारीख से की जाएगी।

(ii) नियोक्ता जो पहले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ रजिस्ट्रीकृत हैं, कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन घोषित सभी अतिरिक्त कर्मचारी उनकी आधाररेखा में जोड़े जाएंगे। यदि नियोजन ने पहले ही कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन घोषणा करने से पहले प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना के फायदे प्राप्त कर लिए हैं, तो प्रदान किया गया फायदा भविष्य के संदायों के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि ऐसे नियोजकों द्वारा भविष्य में कोई संदाय संदेय नहीं है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे फायदों की अधिक्य रमम की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(iii) नियोजक इन छह मास के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न्स को लागू अभिदायों के साथ जमा करवाएंगे।

(18) जिन कर्मचारियों की सदस्यता, कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अनुसार उप-पैरा (4) के अधीन घोषित की गई है, के संबंध में इस स्कीम के उपबंध जिन अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे, वे निम्नानुसार होंगे, अर्थात्: -

(क) पैरा 30 में, उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जो अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतुक कि अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के अधीन समावेशन बढ़ाने और लाभों के विस्तारण के प्रयोजन हेतु, कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सदस्यों के अभिदाय का अधित्यजन कर दिया जाएगा:

परंतुक कि कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन ऐसा अधित्यजन केवल तभी लागू होगा, यदि ऐसे सदस्य के मजदूरी से सदस्य की अभिदाय वसूल नहीं किया गया।"

(ख) पैरा 32-क, उप-पैरा (1) में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

" सारणी -2

(कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025 के अधीन विधिमान्य घोषणाओं के संबंध में धन प्रेषण के लिए लागू)

व्यतिक्रम की अवधि	क्षति की दर
(1)	(2)
1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच।	एक सौ रुपए केवल एकमुश्त, परंतु कि कर्मचारी नामांकन अभियान-2025 के लिए तीन स्कीमों को अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी जमा-से जुड़ी बीमा, स्कीम, 1976, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 में से किसी के लिए विशेष उपबंध के अधीन एक सौ रुपए के संदाय को इस सारणी के अधीन अपेक्षा के अनुपालन के रूप में समझा जाएगा।

[फा. सं. Z-25025/03/2024-SS-II]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- यह मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 1509 तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 329(अ) तारीख 14.06.2024 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2025

G.S.R. 749(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely: -

- Short title and commencement.**— (i) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2025.
(ii) It shall come into force on the 1st day of November, 2025 and shall cease to operate on the 30th day of April, 2026.
- In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, after paragraph 82A, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“82B. Special provision in respect of Employees’ Enrolment Campaign, 2025.— Employees’ Enrolment Campaign, 2025 shall come into force on 1st day of November, 2025 and shall cease to operate on 30th day of April, 2026

2(i) Any employer, whether previously covered under the Act or not, shall be permitted to-

(a) apply for coverage, if not covered; and

(b) enrol **all such employees** who joined the said establishment between 1st day of July, 2017 and 31st day of October, 2025, who are alive and employed as on date of declaration, but who, for any reason, were not enrolled under the Scheme earlier.

(ii) The compliance in respect of such declared employees shall commence from the month of such declaration by the employer under the Employees’ Enrolment Campaign, 2025 provided that the employees’ share of contributions, have not been previously deducted and kept with the employer:

Provided that, in cases wherein inquiries under section 7A of the Act or under paragraph 26B of the Scheme or under paragraph 8 of the Employees’ Pension Scheme, 1995 are pending and the employer opts for the Employees’ Enrolment Campaign, 2025, both the employee and the employer contribution shall be payable as per provisions of the Act and Schemes made thereunder.

3. The employer intends to avail the benefit of Employees’ Enrolment Campaign, 2025 shall at the first instance ensure to create Face Authentication Technology- authenticated Universal Account Number through UMANG Application for each of the eligible employees being declared under the Scheme and make payment of their contributions through an Electronic Challan-cum-Return.
4. The Employer shall then make the declaration under the Employees’ Enrolment Campaign, 2025 through an online facility provided by Employees Provident Fund Organisation, where employer shall indicate the details of the employees enrolled and link it to the Electronic Challan-cum-Return (Temporary Return Reference Number) through which, payment of contributions has been made and pay damages of one hundred rupees.
5. The employer shall declare all the existing and eligible employees who joined the said establishment between 1st day of July, 2017 and 31st day of October, 2025 and are alive and employed as on date of declaration.
6. The declaration by employers shall be accepted only through the Employees Provident Fund Portal.
7. The submission of multiple undertaking or declaration shall not be allowed.
8. On and from the date of declaration under this Scheme, the employer shall make regular compliance under the provisions of the Act.
9. All establishments are eligible to participate in the proposed Scheme irrespective of the fact whether any establishment is facing inquiries under section 7A of the Act or under paragraph 26B of the Scheme or under paragraph 8 of the Employees’ Pension Scheme, 1995.
10. In case, declaration is given by employer pertaining to the stipulated period of inquiry, the benefits under the Employees’ Enrolment Campaign, 2025 shall be confined to limiting the damages to the extent of notional damages as provided for under the Employees’ Enrolment Campaign, 2025 in respect of all existing and alive employees, their wages or amount of contributions and duration of their employment so declared.
11. The employer shall deposit contributions in respect of declared employees for past periods from their respective date of joining as declared by the employer, that-

- (a) the employer shall only be required to pay the employer's share, provided the employees' share has not been deducted and kept with the employer;
 - (b) the employees' share shall be waived, if not deducted by employer earlier.
 - (c) the employer shall pay interest for the past period under section 7Q of the Act along with administrative charges, as applicable.
12. The inquiry officer shall take into consideration the declaration as made under the Employees' Enrolment Campaign, 2025 while deciding the matter.
13. The cases of assessments already concluded under Section 7A of the Act or under paragraph 26B of the Scheme or under paragraph 8 of the Employees' Pension Scheme, 1995 shall not be considered under the Employees Enrolment Campaign, 2025.
14. No *suomotu* compliance action shall be initiated by the Employees' Provident Fund Organisation against the employers who avail the benefits of Employees' Enrolment Campaign, 2025, in respect of such employees who have already left the establishment as on the date of declaration, subject to submission of an undertaking by the establishment declaring that-
- (a) all the existing and eligible employees have been declared; and
 - (b) no amount pertaining to the existing or earlier employees' share of contribution which was deducted therefrom along with applicable amount of employers' contributions in respect thereof, is pending for depositing in Employees' Provident Fund Organisation, as per norms.
15. No case which pertains to the period prior to 1st day of July, 2017 shall be covered under this Scheme.
16. Where a declaration under Sub-paragraph (4) has been made by misrepresentation or suppression of facts relating to declaration of eligible employees, employment and terms of employment of such declared employee, such declaration shall be void *ab-initio* and shall be deemed to have not been made under this Scheme and the employer making such declaration shall be liable to penal action in accordance with the provisions of the Act and the Schemes made thereunder.
- (17) Eligibility criteria for availing Pradhan Mantri-Viksit Bharat Rojgar Yojana Benefits by the establishments covered under the Employees' Enrolment Campaign, 2025:-**
- (a) all the employers who gets registered in Employees' Provident Fund Organisation under the Employees' Enrolment Campaign, 2025 or declare additional employees under the Employees' Enrolment Campaign, 2025 shall be eligible to avail the benefits of Pradhan Mantri-Viksit Bharat Rojgar Yojana, subject to terms and conditions of that scheme and stipulations as made hereunder.
 - (b) the Pradhan Mantri-Viksit Bharat Rojgar Yojana shall be applicable to all of the employers who register in Employees' Provident Fund Organisation or declare additional employees, in terms of provisions of the Employees' Enrolment Campaign, 2025, from the date of submission of declaration.
- (I) **Part A Benefits:** The first timers joining such establishments subsequent to the date of submission of declaration or final conclusion of the inquiry as the case may be, shall be eligible to avail the benefits under Part A of Pradhan Mantri-Viksit Bharat Rojgar Yojana, subject to fulfilment of the terms and conditions of the Scheme.
- (II) **Part B Benefits:**
- (i) Registration period under Part B of the Pradhan Mantri-Viksit Bharat Rojgar Yojana for the employers availing benefits of the Employees' Enrolment Campaign, 2025 shall commence from the First day of the month following six completed months from date of submission of declaration or final conclusion of the Inquiry as the case may be, under the Employees' Enrolment Campaign, 2025 and shall be up to 31st July, 2027. All the eligibility criteria like threshold/net additionality, length of service of new employees etc. shall be calculated with effect from the said date.

- (ii) For employers already registered with Employees' Provident Fund Organisation, all additional employees declared under the Employees' Enrolment Campaign, 2025 shall be added to their baseline. If the employer has already received benefits under the Pradhan Mantri-Viksit Bharat Rojgar Yojana before making a declaration under the Employees' Enrolment Campaign, 2025, the benefit so given shall be adjusted against future payments. In case, no future payment is payable by such employers, Employees' Provident Fund Organisation shall take necessary steps for recovery of such excess amount of benefits.
- (iii) Employers shall submit all Electronic challan-cum>Returns for these six months along with applicable contributions.
- (18) The exceptions and modifications subject to which the provisions of this Scheme shall apply, in relation to the employees' whose membership have been declared under sub-paragraph (4) as per the Employees' Enrolment Campaign, 2025, shall be as follows, namely: -
- (a) in paragraph 30, after sub-paragraph (1), the following proviso shall be inserted, namely: -
- "Provided that, for the purpose of increasing coverage and extension of benefits under the Act and Schemes made thereunder, the member's contribution shall stand waived under the Employees' Enrolment Campaign, 2025 for the period beginning the 1st day of July, 2017 and ending the 31st day of October, 2025:
- Provided further that such waiver, under the Employees' Enrolment Campaign, 2025, shall be applicable only if the member's contribution has not been recovered from such member's wages."
- (b) In paragraph 32-A, in sub-paragraph (1), after the Table, the following Table shall be inserted, namely:-

"TABLE-2

(Applicable for remittances in respect of valid declarations under Employees' Enrolment Campaign, 2025)

Period of Default	Rate of damages
(1)	(2)
Between the 1st day of July, 2017 to the 31 st day of October, 2025.	One hundred rupees Only lump Sum, provided that payment of one hundred rupees under the special provision for the Employees' Enrolment Campaign-2025 under any of the three Schemes i.e. the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Employees' Deposit-Linked Insurance, Scheme, 1976, the Employees' Pension Scheme, 1995 shall be construed as compliance to the requirement under this Table."."

[F. No. Z-25025/03/2024-SS-II]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

Note:- This principal Scheme were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number S.R.O. 1509 dated the 2ne September, 1952 and was last amended vide notification number G.S.R 329(E) dated 14.06.2024